विज्ञापन सं. 52/2023

संघ लोक सेवा आयोग

संयुक्त सचिव और निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों की पार्श्व (लेटरल) भर्ती के लिए संविदा आधार पर (वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in के माध्यम से*) ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है।

रिक्ति विवरण

भारत सरकार ने **संयुक्त सचिव और निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों** की पार्श्व भर्ती के लिए एक अधियाचना प्रस्तुत की है। तद्नुसार, ऐसे प्रतिभाशाली एवं आत्मप्रेरित भारतीय नागरिक संविदा आधार पर (राज्यों / संघ शासित संवर्गों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर) तीन वर्ष की अवधि के लिए (कार्य निष्पादन के आधार पर पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है) जो सरकार में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है, में निम्नलिखित पदों पर संयुक्त सचिव या निदेशक / उप सचिव, समूह 'क' स्तर पर भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के इच्छुक हैं, से वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन पत्र **19 जून, 2023** तक आमंत्रित किए जाते हैं।

संयुक्त सचिव

1. (पद आईडी सं. 23055201620) नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (नागर विमानन) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक : एविएशन / एयरोनॉटिकल / एयरोस्पेस / कंप्यूटर / सूचना प्रौद्योगिकी / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में बीई/बीटेक।

(ख) अनुभव : अनुसंधान / डिजाइन / रख-रखाव और विनिर्माण संचालन के क्षेत्र में विमानन क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें ड्रोन अनुसंधान / डिजाइन / विनिर्माण / संचालन / विनियमों में दो वर्ष का अनुभव शामिल है।

वांछनीय : (i) शैक्षिक योग्यता में उल्लिखित विषयों में पीएच.डी. / एम.एससी. / एम.टेक. / (ii) एमबीए (iii) एलएलबी या एलएलएम (iv) विधि कार्य में अनुभव।

कार्य विवरण : (i) ड्रोन के लिए सरकार के विज़न, मिशन एवं उद्देश्यों का कार्यान्वयन - भारत सरकार द्वारा ड्रोन और संबंधित क्षेत्रों के लिए निर्धारित विज़न, मिशन एवं उद्देश्यों को सम्पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना। (ii)

ड्रोन उद्योग की संवृद्धि को सुगम बनाना - 'ड्रोन एक सेवा के रूप में', ड्रोन अनुसंधान, स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला का विकास, निर्यात-संवर्धन, वित्त पोषण, शिक्षा और कौशल-निर्माण आदि के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं / उद्योग / शिक्षाविदों / स्टार्टअप्स / वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों आदि के साथ सहयोग करना। (iii) नीति, विनियामक और प्रक्रियात्मक सुधार - वैश्विक स्तर पर और भारत में ड्रोन क्षेत्र में विकास पर नजर रखना, हितधारक विचार वार्ताएं आयोजित करना और भारत को दुनिया का ड्रोन केन्द्र बनाने के प्रयास करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ड्रोन से संबंधित नीति, नियामक और प्रक्रियात्मक सुधारों के लिए निविष्टियां प्रदान करना। (iv) सरकारी योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन - ड्रोन उद्योग की संवृद्धि के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव, अभिकल्पना और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना। ड्रोन पीएलआई योजना के निर्बाध कार्यान्वयन को सुगम बनाना; सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन हितधारक परामर्श के आधार पर सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और इन्हें शामिल करना। (v) जागरूकता संवर्धन - उद्योग निकायों और संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सहयोग से कार्यक्रमों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्षेत्र प्रदर्शनों, प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक / सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ड्रोन के बारे में जागरूकता अभियान चलाने में सुविधाएं प्रदान करना। (vi) डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के साथ यूएवी / ड्रोन के यातायात प्रबंधन का एकीकरण करना (vii) हवाई टैक्सी ईवीटीओएल (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग)।

2. (पद आईडी सं. 23055202420) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (डिजिटल वाणिज्य), का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक : व्यवसाय प्रशासन / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / व्यवसायिक अर्थशास्त्र / विदेश व्यापार में मास्टर डिग्री / पीजी डिप्लोमा।

(ख) अनुभव : किसी ई-कॉमर्स कंपनी / मार्केटप्लेस या रिटेल ट्रेड कंपनी में न्यूनतम सात वर्ष के अनुभव के साथ **पंद्रह** वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : (i) सूचना प्रौद्योगिकी/ कंप्यूटर विज्ञान / फिनटेक / आपरेशनल रिसर्च आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में विशिष्टता के साथ मास्टर डिग्री / पीजी डिप्लोमा। (ii) डिजिटल व्यापार/वाणिज्य के मामलों में पांच वर्ष का अनुभव।

कार्य विवरण : (i) नीति निर्माण, विश्लेषण और डिजिटल व्यापार और आंतरिक व्यापार से संबंधित मामलों के लिए निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। (ii) डिजिटल व्यापार और आंतरिक व्यापार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। (iii) डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क से संबंधित मामले और डिजिटल कॉमर्स को अपनाने को बढ़ावा देने की पहल। (iv) डिजिटल वाणिज्य के संबंध में शिकायतों को कम करने के लिए नीतिगत मामले और

कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप करना। (v) न्यायालय संबंधी मामलों से संबंधित कार्य एवं सौंपे गए प्रशासनिक और अन्य कार्यों को निष्पादित करना। (vi) डिजिटल व्यापार और आंतरिक व्यापार से संबंधित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा संदर्भित सभी मामलों पर परामर्श देना।

3. (पद आईडी सं. 23055203420) विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मध्यस्थता और सुलह) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक : विधि में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : मध्यस्थता और सुलह में सात वर्ष के अनुभव सहित विधिक मामलों में योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: मध्यस्थता और सुलह में विशेषज्ञता के साथ विधि में मास्टर डिग्री।

कार्य विवरण : (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संदर्भित सभी मामलों पर परामर्श देना। (ii) सरकारी मुकदमों से संबंधित कार्य देखना। (iii) जहां भी आवश्यक हो, न्यायालयी मामलों का संचालन करना और केंद्र सरकार की ओर से न्यायालयों में पेश होना। (iv) प्रशासनिक कार्य निष्पादित करना।

4. (पद आईडी सं. 23055204420) विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव (साइबर विधि) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक : विधि में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : साइबर विधि में सात वर्ष के अनुभव सहित विधिक मामलों में कम से कम पंद्रह वर्ष का योग्यता के बाद अनुभव।

वांछनीय : साइबर विधि में विशेषज्ञता के साथ विधि में मास्टर डिग्री।

कार्य विवरण : (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संदर्भित सभी मामलों पर परामर्श देना। (ii) सरकारी मुकदमों से संबंधित कार्य को देखना। (iii) जहां भी आवश्यक हो, केंद्र सरकार की ओर से न्यायलयी मामलों का संचालन करना और न्यायालयों में पेश होना। (iv) प्रशासनिक कार्य निष्पादित करना।

<u>निदेशक / उप सचिव</u>

5. (पद आईडी सं. 23055205420) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर के पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कृषि रसायन विज्ञान / मृदा विज्ञान / पादप रोग विज्ञान / रसायन विज्ञान / जैव रसायन / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जीवाणु विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री; और **(ख) अनुभव** : जैविक खाद / जैव-उर्वरकों / उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के प्रचार के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव;

या

(क) शैक्षिक : (i) कृषि रसायन विज्ञान / मृदा विज्ञान / पादप रोग विज्ञान / रसायन विज्ञान / जैव रसायन / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जीवाणु विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री; और (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट किसी भी विशेषज्ञता में पीएच.डी.। **(ख) अनुभव** : जैविक खादों / जैव-उर्वरकों / उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के प्रचार के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर के पद हेतु :</u>

(क) शैक्षिक : कृषि रसायन विज्ञान / मृदा विज्ञान / पादप रोग विज्ञान / रसायन विज्ञान / जैव रसायन / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जीवाणु विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री; और

(ख) अनुभव : जैविक खाद / जैव-उर्वरकों / उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के प्रचार के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव;

या

(क) शैक्षिक : (i) कृषि रसायन विज्ञान / मृदा विज्ञान / पादप रोग विज्ञान या रसायन विज्ञान / जैव रसायन / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जीवाणु विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री; और (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट किसी भी विशेषज्ञता में पीएच.डी.।

(ख) अनुभव : जैविक खादों / जैव-उर्वरकों / उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण के प्रचार के क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के कार्य विवरण

कार्य विवरण : (i) उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करना। (ii) सभी राज्यों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना। (iii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) का कार्यान्वयन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए एक पोर्टल का विकास करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार के साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करना। (iv) एक सतत और पर्यावरण अनुकूल रासायनिक अवशेष मुक्त कृषि उत्पादन मॉडल के उद्देश्य से राज्यों के माध्यम से क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से केंद्रित तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का कार्यान्वयन करना। (v) राज्य एस एल एस सी के विचार के लिए एस एच सी, एस एच एम पी के वी वाई और एम ओ वी सी डी एन ई आर की उप-योजना के संबंध में आरकेवीवाई प्रस्तावों का परीक्षण करना। (vi) मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जैविक खेती, एजेंडा नोट तैयार करने, पीएससी की बैठकें आयोजित करने और राज्यों को स्वीकृत बजट जारी करने के लिए आईएफडी की वित्तीय सहमति के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच। (vii) एसएचसी और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ-साथ जैविक खेती घटकों के संदर्भ में खरीफ और रबी के लिए कृषि निविष्टियों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों में भागीदारी। (viii) आई एन एम डिवीजन के तहत सीपीआईओ के अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग, जैविक खेती, खाद के उपयोग और जैव-उर्वरकों से संबंधित मामलों पर सूचना प्रदान करना। (ix) प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना, एनपीओएफ की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी, अव्ययित शेष राशि की निगरानी, अव्ययित राशि की वापसी के लिए राज्यों से अनुरोध करना। फलों और सब्जियों के अपशिष्ट खाद इकाइयों और जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना (सीआईएसएस) के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड के साथ बातचीत करना। साथ ही जैविक निविष्टियों के निर्यात, नवीन जैविक निविष्टियों एवं भागीदारी गारंटी योजना (पीजीएस) आदि से संबंधित प्रस्तावों की जांच करना। (x) आईएनएम डिवीजन के तहत मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक उपयोग, जैविक कृषि, जैव उर्वरक आदि से संबंधित तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के मसौदा उत्तर तैयार करना। अनुदान के लिए कृषि संबंधी स्थायी समिति के लिए तारांकित प्रश्नों एवं उत्तरों की पूरक सामग्री तैयार करना।

6. (पद आईडी सं. 23055206420) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक / उपसचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन / वर्षा आधारित फार्म प्रणाली) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : शस्य विज्ञान / एक विषय के रूप में शस्य विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान / कृषि रसायन विज्ञान / मृदा विज्ञान / कृषि विस्तार / कृषि अर्थशास्त्र / कृषि वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री **या** वानिकी / वनस्पति विज्ञान / कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : मृदा और जल संरक्षण / मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन / वर्षा सिंचाई / एकीकृत खेती / मृदा सर्वेक्षण / समस्याग्रस्त मृदा सुधार / कृषि-वानिकी परियोजनाओं सहित परियोजना निर्माण के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : शस्य विज्ञान / एक विषय के रूप में शस्य विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान / कृषि रसायन विज्ञान / मृदा विज्ञान / कृषि विस्तार / कृषि अर्थशास्त्र / कृषि वनस्पति विज्ञान या वानिकी / वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री **या** वानिकी / वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री / कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : कृषि-वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा और जल संरक्षण / मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन / वर्षा सिंचाई / एकीकृत खेती / मृदा सर्वेक्षण / समस्या मृदा सुधार / परियोजना निर्माण के क्षेत्र में सात वर्षों का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण :

वांछनीय : अनिवार्य योग्यता में उल्लिखित विषयों में किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री / कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

कार्य विवरण : (i) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जल संचयन सहित वर्षा आधारित क्षेत्रों और मृदा और जल संरक्षण (एसडब्ल्यूसी) में एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए प्रासंगिक साहित्य, मौजूदा दस्तावेजों और वर्तमान प्रबंधन तकनीकों की समीक्षा करना। (ii) भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए वर्षा आधारित / शुष्क भूमि कृषि प्रणाली से संबंधित मामले की तकनीकी जांच का संचालन करना। (iii) मृदा सर्वेक्षण, जल उपयोग दक्षता सुधार और क्षारीय/अम्लीय मृदा के सुधार के संदर्भ में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन से संबंधित तकनीकी मामलों पर कार्य करना। (iv) जलविभाजक / समस्याग्रस्त भूमि पुनर्ग्रहण और फसल विविधीकरण आदि के क्षेत्र में बाहय वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों का समन्वय करना। (v) क्षेत्र सर्वेक्षण, जांच करना तथा मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रमों और संबंधित कार्यक्रमों की उचित योजना, अभिकल्पना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उपयुक्त क्षेत्र नियमावली / दिशानिर्देश तैयार करना। (vi) विभिन्न जलविभाजक /ब्लॉक की आवश्यकताओं की पहचान करना और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कैसे और कहां सुधार को अपनाया जा सकता है, इसकी परिपाटियों और सिफारिशों का विस्तृत मूल्यांकन स्थापित करना। (vii)

केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय निकायों जैसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, उत्तर पूर्वी परिषद आदि के साथ तकनीकी समन्वय और संपर्क करना। (viii) परियोजना प्रस्ताव तैयार करना, ईएफसी ज्ञापन, संगोष्ठी और क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करना आदि। (ix) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली प्रभागों के विभिन्न तकनीकी मामलों पर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करना। (x) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), पर्यावरण और वन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय आदि के साथ संपर्क रखना।

7. (पद आईडी सं. 23055207420) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (सहकारिता / क्रेडिट) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर के पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कृषि / कृषि अर्थशास्त्र / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : सहकारिता / क्रेडिट के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर के पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कृषि / कृषि अर्थशास्त्र / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : सहकारिता / क्रेडिट के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण :</u>

वांछनीयः सहकारिता में डिप्लोमा।

कार्य विवरण : (i) सामान्य रूप से सहकारी विकास की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम बनाना और विशेष रूप से कृषि उपज, आपूर्ति, भंडारण और निविष्टियों और अन्य संबद्ध कृषि कार्यक्रमों का सहकारी विपणन और प्रसंस्करण करना। (ii) राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य से प्राप्त सहकारी समितियों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। (iii) विभिन्न केंद्रीय विभागों, राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग, राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों और अन्य संगठनों के साथ निकट समन्वय में सहकारी विकास योजनाओं / कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना। (iv) कार्य की उपर्युक्त मदों से संबंधित क्षेत्र अध्ययन दौरे करना। सहायता के पैटर्न को विकसित करने के लिए क्षेत्र के अनुभव का विश्लेषण करना। (v) चयनित राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों की समिति/बोर्ड में सरकार के नामिती के रूप में कार्य करना। (vi) सहकारिता प्रभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, अपर आयुक्त (सहकारिता/क्रेडिट) के मार्गदर्शन में सहायोग और कार्य करना।

8. (पद आईडी सं. 23055208420) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (फसल) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर के पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विस्तार / शस्य विज्ञान / कीटविज्ञान / सूत्रकृमि विज्ञान / आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन / कृषि वनस्पति / पादप जैव प्रौद्योगिकी / पादप रोगविज्ञान / पादप शरीरक्रिया विज्ञान / बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / मृदा विज्ञान / कृषि रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री **या** कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : खाद्य / नकदी फसलों जैसे कि चावल / गेहूं / दालें / श्रीअन्न / गन्ना / कपास / जूट / तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर के पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विस्तार / शस्य विज्ञान / कीटविज्ञान / सूत्रकृमि विज्ञान / आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन / कृषि वनस्पति / पादप जैव प्रौद्योगिकी / पादप रोगविज्ञान / पादप शरीरक्रिया विज्ञान / बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / मृदा विज्ञान / कृषि रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री **या** कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : खाद्य / नकदी फसलों, जैसे, चावल / गेहूं / दाल / श्रीअन्न / गन्ना / कपास / जूट / तिलहन में उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यता एवं कार्य विवरण :</u>

वांछनीयः अनिवार्य मानदंडों के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री।

कार्य विवरण : (i) कपास, गन्ना, जूट और तम्बाकू और उनकी राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए सहयोग करना। (ii) उपर्युक्त फसल/क्षेत्र और उनकी योजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संपर्क बनाए रखना। (iii) उपर्युक्त फसल / क्षेत्र और उनकी योजनाओं और कभी-कभी समग्र रूप से कृषि के विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई / टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को भेजे गए कागजात / सामग्री पर कार्रवाई करना। (iv) उपर्युक्त पर अन्य प्रभागों / मंत्रालयों को तकनीकी और अन्य जानकारी प्रदान करना। (v) फसल की स्थिति / फसल योजनाओं की निगरानी के लिए राज्यों का दौरा करना। (vi) सरकारों, किसानों, इच्छुक समूहों आदि को उपर्युक्त फसल / क्षेत्र और उनकी योजनाओं पर तकनीकी सहयोग, मार्गदर्शन प्रदान करना। (vii) विशेष कार्य / दस्तावेज़ और अन्य दस्तावेज़ों पर टिप्पणी तैयार करने में सहयोग करना। (viii) सौंपे गए कार्य पर मंत्रियों / अधिकारियों के लिए विभिन्न अंतः / अंतर-मंत्रालयी बैठकों / सम्मेलनों के लिए और उनमें भाग लेने के लिए नोट्स और भाषण तैयार करना। (ix) कृषि और सहकारिता विभाग और

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार और विपणन प्रभागों के साथ संपर्क रखना। (x) अन्य अधिकारियों के दौरे/छुट्टी के दौरान अन्य फसलों पर अतिरिक्त कार्य सहित सौंपे गए दैनिक कार्यों में उच्च अधिकारियों को सहयोग करना। (xi) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी राज्यों का दौरा करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों या उच्च अधिकारियों को सहयोग करना और इन राज्यों की मैक्रो प्रबंधन योजना से संबंधित कार्य करना। (xii) कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू निदेशालयों का तकनीकी पर्यवेक्षण। (xiii) फसलों / सौंपे गए कार्यों पर संसदीय प्रश्नों / सामग्रियों / अनुदान मांगों, आदि के उत्तरों को तैयार करना। (xiv) कृषि और सहकारिता विभाग, भा.कृ.अ.प., उपभोक्ता मामला मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वस्त्र मंत्रालय, आदि की समितियों में फसल प्रभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में कार्य करना। (xv) राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / बैठकों के आयोजन के लिए सहयोग करना।

9. (पद आईडी सं. 23055209420) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (रसायन इंजीनियरी) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर के पद के लिए</u> :

(क) शैक्षिक : बी.टेक. (रसायन इंजीनियरी) / एम.एससी. (रसायन विज्ञान)।

(ख) अनुभव : रसायन इंजीनियरी / रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योग्यता के बाद कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर के पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : बी.टेक. (रसायन इंजीनियरिंग) / एम.एससी. (रसायन विज्ञान)।

(ख) अनुभव : रसायन इंजीनियरी / रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योग्यता के बाद कम से कम सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण :</u>

वांछनीयः रसायन विज्ञान में पीएच.डी. / रसायन इंजीनियरिंग / पेट्रोरसायन इंजीनियरी में एम.टेक.।

कार्य विवरण : नीति निर्माण और संबद्ध विषयों के लिए रसायन और पेट्रोरसायन में तकनीकी निविष्टियां प्रदान करना।

10. (पद आईडी सं. 23055210520) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (फार्मा और चिकित्सा उपकरण) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर के पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : प्रबंधन, जैव-इंजीनियरिंग, चिकित्सा तकनीक / चिकित्सा क्षेत्र में बी.ई. / बी.टेक. / एमबीबीएस / बैचलर डिग्री।

(ख) अनुभव : अनुसंधान और विकास / उत्पादन में संचालन प्रबंधन / परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कम से कम तीन साल के अनुभव के साथ फार्मा या चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : प्रबंधन, जैव-इंजीनियरी , चिकित्सा तकनीक / चिकित्सा क्षेत्र के विषय में बी.ई. / बी.टेक. / एमबीबीएस / बैचलर डिग्री।

(बी) अनुभव : अनुसंधान और विकास / उत्पादन में संचालन प्रबंधन / परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कम से कम तीन साल के अनुभव के साथ फार्मा या चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यता एवं कार्य विवरण :</u>

वांछनीय :
<u>निदेशक स्तर के पद के लिए :</u> (i) एम.ई. / एम.टेक. (ii) प्रबंधन, जैव-इंजीनियरिंग, चिकित्सा तकनीक / चिकित्सा क्षेत्र के विषय में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमबीए) / व्यवसाय में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीएम)।

<u>उप सचिव स्तर के पद के लिए :</u> (i) एम.ई. / एम.टेक.। (ii) प्रबंधन, बायो-इंजीनियरी , चिकित्सा प्रौद्योगिकी / चिकित्सा क्षेत्र के विषयों में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमबीए) / प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीएम)।

कार्य विवरण : सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और (i) तकनीकी, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास और फार्मा या चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन से संबंधित गुणवत्ता संबंधी मानदंडों और उत्पादकता दक्षता और प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से कार्य करना। (ii) देश में या देश से बाहर से प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, औषधी मध्यवर्ती, चिकित्सा उपकरणों के घटकों, आदि सहित फार्मा या चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए गुणवत्ता, उपलब्धता एवं कच्चे माल का मूल्य निर्धारित करना। (iii) फार्मास्युटिकल या चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, खपत और मूल्य निर्धारित करना। (iv) देश में फार्मास्यूटिकल या चिकित्सा उपकरणों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उपाय करना। (v) औषधि या चिकित्सा उपकरणों में नई

परियोजनाओं / उनके क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं - से संबंधित मामलों मामलों पर कार्रवाई करना।

11. (पद आईडी सं. 23055211420) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (डिजिटल वाणिज्य) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : व्यवसाय प्रशासन / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / व्यवसाय अर्थशास्त्र / विदेशी व्यापार में मास्टर डिग्री / पीजी डिप्लोमा।

(ख) अनुभव : किसी ई-कॉमर्स कंपनी / मार्केट प्लेस या खुदरा व्यापार कंपनी में कम से कम 4 वर्षों के अनुभव सहित कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर पद के लिए:

(क) शैक्षिक: व्यवसाय प्रशासन / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / व्यवसाय अर्थशास्त्र / विदेशी व्यापार में मास्टर डिग्री / पीजी डिप्लोमा।

(ख) अनुभव : ई-कॉमर्स कंपनी / मार्केट प्लेस या खुदरा व्यापार कंपनी में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित कम से कम सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण:

वांछनीय :

निदेशक स्तर के पद के लिए: (i) सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / फिनटेक / ऑपरेशनल रिसर्च और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विषयों में विशेषज्ञता सहित मास्टर डिग्री / पीजी डिप्लोमा (ii) डिजिटल व्यापार / वाणिज्य के मामलों में चार वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर पद के लिए: (i) सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / फिनटेक / ऑपरेशनल रिसर्च और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में मास्टर डिग्री / पीजी डिप्लोमा में विशेषज्ञता। (ii) डिजिटल व्यापार / वाणिज्य के मामलों में तीन वर्ष का अनुभव।

कार्य विवरण : (i) डिजिटल व्यापार और आंतरिक व्यापार से संबंधित मामलों में नीति निर्माण, विश्लेषण और निर्णय लेने मे सहायता देना। (ii) डिजिटल व्यापार और आंतरिक व्यापार के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग। (iii) डिजिटल वाणिज्य के लिए खुले नेटवर्क से

संबंधित मामले और डिजिटल वाणिज्य अपनाने की पहल को मजबूत करना। (iv) डिजिटल कॉमर्स के संबंध में शिकायतों को कम करने के लिए नीतिगत मामले और प्रोग्रामेटिक हस्तक्षेप। (v) अदालती मामलो पर कार्रवाई करना और प्रशासनिक कार्य निष्पादित करना। (vi) डिजिटल व्यापार और आंतरिक व्यापार के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के द्वारा संदर्भित मामलों पर परामर्श देना।

12. (पद आईडी सं. 23055212420) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (आईपीआर/कॉपीराइट) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए</u> :

(क) शैक्षिक : विधि में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : बौद्धिक संपदा विधि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने में (अनुसंधान और प्रकाशन सहित) दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : विधि में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : बौद्धिक संपदा विधि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने में (अनुसंधान और प्रकाशन सहित) में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण :</u>

वांछनीय :

निदेशक स्तर पद के लिए : (i) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्र में पीएच.डी (ii) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्र में पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण प्रकाशनों का साक्ष्य।

उप सचिव स्तर पद के लिए : (i) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्र में पीएच.डी। (ii) आईपीआर के क्षेत्र में पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण प्रकाशनों का साक्ष्य।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण :</u>

कार्य विवरण : (i) विभिन्न बौद्धिक संविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन और संबद्ध उद्योगों के सरोकारों का अपेक्षित निवारण (ii) बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलुओं पर भारत सरकार की अंतराष्ट्रीय स्थिति को अंतिम रूप देना (iii) भारत में बौद्धिक संपदा व्यवस्था के

विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं, स्कीमों और कार्यक्रमों पर विचार करना, प्रक्रियाबद्ध करना उन्हें कार्यान्वित करना और उनकी निगरानी करना। (iv) अधिनियम / नियमों / कार्यालय आदेशों में अपेक्षित संशोधनों सहित विधायी और नीतिगत स्तर पर परिवर्तन करके अन्वेषकों और सृजनकर्ताओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए वातावरण प्रोत्साहित करना। (v) बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में नीति निर्धारण में सहायता करना (vi) बौद्धिक संपदा से संबंधित मामलों में भारत और विदेश में उद्योग जगत के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच कायम करना। (vii) समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने सहित बौद्धिक संपदा संबंधी चैप्टरों / समझौतों पर द्विपक्षीय / बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होना।

13. (पद आईडी सं. 23055213620) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (ई-गवर्नेंस) का एक पद।

<u>अनिवार्य योग्यताएं :</u>

निदेशक स्तर पद के लिए

(क) शैक्षिक : कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई. / बी. टेक.।

(ख) अनुभव : कोडिंग, विकास और प्रोग्रामिंग में दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कंप्यूटर में बी.ई. / बी. टेक.।

(ख) अनुभव : कोडिंग, विकास और प्रोग्रामिंग में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण :</u>

वांछनीय : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप भाषा (एआईएमएल) में एक वर्ष का अनुभव।

कार्य विवरण : निदेशक (ई-गवर्नेंस) मंत्रालय में भारत सरकार के प्रथम ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट, एमसीए-21 प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे। वह सॉफ्टवेयर प्रणाली अपेक्षाओं के विधिमान्यकरण के लिए जिम्मेदार होंगे / होंगी।

14. (पद आईडी सं. 23055214620) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (लॉजिस्टिक्स) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर पद के लिए

(क) शैक्षिक : किसी क्षेत्र में बी.ई. / बी.टेक.।

(ख) अनुभव : लॉजिस्टिक्स, विशेष रूप से माल की आवाजाही में दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : किसी भी क्षेत्र में बी.ई. / बी.टेक.।

(ख) अनुभव : लॉजिस्टिक्स, विशेष रूप से माल की आवाजाही में सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से व्यवसाय प्रशासन (लॉजिस्टिक्स प्रबंधन / सप्लाई चैन प्रबंधन) में स्नातकोत्तर।

कार्य विवरण : (i) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्राप्तकर्ता राज्यों को उनके अधिग्रहण के बाद खाद्यानों की आवाजाही की योजना बनाना और निगरानी करना। (ii) प्रायोजित खाद्यानों की लोडिंग के लिए रैक/वैगन की आपूर्ति के संबंध में रेलवे के साथ समन्वय। (iii) राज्यों से/को खाद्यानों की अपर्याप्त आवाजाही के संबंध में राज्य सरकारों / राज्य एजेंसियों / केंद्र शासित प्रशासन से प्राप्त शिकायतों / अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करना। (iv) कठिनाईयुक्त क्षेत्रों जैसे असम / उत्तर पूर्व और जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम आदि में और समय-समय पर पहचान किए गए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाद्यानों के समावेशन की समीक्षा और निगरानी करना और जब कभी आवश्यक हो, समीक्षा बैठकें आयोजित करना। (v) जहां आवश्यक हो, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय आदेशों के अनुसार खाद्यानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले मामलों के संबंध में रेलवे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। (vi) रेलवे में ट्रैफिक की बुकिंग की प्राथमिकता अनुसूची। (vii) खाद्यानों की आवाजाही और उपलब्धता के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बुकिंग प्रतिबंधों की रियायत के लिए रेलवे को एप्रोच करना। (viii) देश में विविध महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर समय-समय पर खाद्यान वैगनों की अवमुक्ति की देख-रेख करना। (ix) अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों के लिए, एफ सी आई अकाउंट पर स्थानिक खाद्यानों की आवाजाही के संबंध में आंकड़ों का अनुरक्षण करना और खाद्यानों की आवाजाही के संबंध में एफ सी आई के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा मंगवाना। (x) खाद्यानों और अन्य कृषि उत्पादों की आवाजाही (इन्टर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट) में राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य रेलवे उपयोगकर्ता के साथ संपर्क/समन्वय और सहायता करना। (xi) रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए एफ सी और राज्य एजेंसियों के लिए बोरे की गांठों की स्थिति, अस्थायी समय अनुसूची और उनकी आवाजाही तथा समय पर उपलब्धता के संबंध में समन्वय। (xii) शर्करा निदेशालय से शर्करा अवमुक्ति विवरण प्राप्त होने पर विभिन्न राज्यों को लेवी शर्करा की आवाजाही के लिए मासिक आधार पर विस्तृत शर्करा आवाजाही

कार्यक्रम का संकलन करना/जारी करना। (xiii) एफ सी आई द्वारा रेलवे को खाद्यानों के परिवहन के दौरान अदा किए गए पारगमन शुल्क, विलंब शुल्क, घाट शुल्क आदि से संबंधित लेखा-परीक्षा आपत्तियाँ। (xiv) पैकिंग शर्तें, रेलवे परिसर में तौलना, स्पष्ट आर आर के मुद्दे के संबंध में नीतिगत मामले। (xv) उत्तर पूर्व, जम्मू और कश्मीर आदि में लेवी शर्करा को लोड करने के लिए रैक की आवाजाही में सहायता। (xvi) रेलवे बोर्ड, आंचलिक और पत्तन न्यास, रेलवे प्राधिकारियों, राज्य सरकारों और एफ सी आई के साथ संपर्क। (xvii) आंतरिक खपत के लिए खाद्यानों की तटीय आवाजाही, इसके वित्तीय पहलुओं और लागत कारक को छोड़कर। (xviii) आयातित खाद्यानों (सरकारी खाते पर आयातित) लदानों/आवाजाही की निगरानी करना, लदान कार्यक्रम के समय से लेकर, बंदरगाहों से प्रस्थान, बंदरगाहों पर आगमन और रोज उतारना, बंदरगाहों से निकासी, और रेल/सड़क द्वारा आगे भेजना।

15. (पद आईडी सं. 23055215420) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (आईसीटी शिक्षा) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या शिक्षा तकनीकी/सूचना और संचार तकनीकी (आईसीटी) / कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बी.ई. / बी.टेक।

(ख) अनुभव : किसी भी क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव :- (i) शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा तकनीकी/आईसीटी। (ii) शिक्षा नीति मुद्दों और नीति विकास में आईसीटी। (iii) शैक्षिक क्षेत्र में कार्यनीतिक योजना, परियोजना प्रबंधन, क्रियान्वयन और निगरानी।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या शिक्षा तकनीकी/सूचना और संचार तकनीकी (आईसीटी) / कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बी.ई. / बी.टेक।

(ख) अनुभव : किसी भी क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव :- (i) शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा तकनीकी / आईसीटी। (ii) शिक्षा नीति मुद्दों और नीति विकास में आईसीटी। (iii) शैक्षिक क्षेत्र में कार्यनीतिक योजना, परियोजना प्रबंधन, क्रियान्वयन और निगरानी।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण</u>

वांछनीय : उपर्युक्त विषयों में स्नातकोत्तर / डॉक्टरेट डिग्री (पीएच.डी)।

कार्य विवरण : (i) एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे दीक्षा कहा जाता है, के विकास का मार्गदर्शन और अनुवीक्षण करना। (ii) उच्च गुणवत्तायुक्त ऐसे ई-कंटेन्ट (विद्यार्थियों और

शिक्षकों के लिए) विकसित करने के लिए जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सभी डिजिटल मोड - इंटरनेट - आधारित, टीवी और रेडियो के साथ सुसंगत होना चाहिए, का मार्गदर्शन करना, निगरानी करना, निरीक्षण करना, सहायता करना। (iii) यह सुनिश्चित करना कि शैक्षिक सॉफ्टवेयर और ई-कंटेन्ट की समृद्ध विविधता विभिन्न भाषाओं / बोलियों / मातृ भाषाओं में विद्यालय शिक्षा (विद्यालय-पूर्व से ग्रेड 12 तक) के लिए विकसित किया जाए और सभी स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। (iv) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे सभी सॉफ्टवेयर / ई-कंटेन्ट सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विद्यार्थियों और दिव्यांग विद्यार्थियों सहित उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच योग्य हों। (v) सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सभी राज्यों के साथ-साथ एनसीईआरटी, सीआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस और अन्य निकायों/संस्थानों के द्वारा विकसित किये गये शिक्षण अधिगम ई-कंटेन्ट का समन्वय और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए। (vi) आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक एवं अन्य ग्रेड़ों के लिए बच्चे के अनुसार ट्रैकिंग के लिए आईटी समाधान की संकल्पना करना उसका डिजाइन बनाना, मार्गदर्शन करना, समन्वयन करना और उसकी निगरानी रखना। (vii) उभरती हुई हानिकारक तकनीकों का पता लगाना जो आवश्यक रूप से शैक्षिक प्रणाली को परिवर्तित कर देंगी। (viii) शिक्षा तकनीकी (विद्यार्थियों के लिए तकनीकी, अध्यापकों के लिए तकनीकी, मूल्यांकन के लिए तकनीकी) के विभिन्न प्रकार की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए मानकों और मूल्यांकन उपकरणों का सृजन करना। (ix) शिक्षा तकनीक में वैश्विक स्तर पर नवीनतम घटनाक्रम की समझ पर अनुसंधान आधारित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना। (x) राष्ट्रीय कार्यशालाओं को आयोजित करना, समन्वित करना और सुगम बनाना, प्रोजेक्ट बजट, संसाधनों के आबंटन का प्रबंधन करना और निगरानी करना, प्रोजेक्ट निगरानी रिपोर्ट तैयार करना, सहभागियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना, प्रोजेक्ट संचार सामग्री, ब्रीफ विकसित करना और प्रोजेक्ट के बाह्य मूल्यांकन का प्रबंधन करना, आदि।

16. (पद आईडी सं. 23055216420) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (शिक्षा विधि) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : (i) विधि में स्नातक डिग्री। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी राज्य विधिज्ञ परिषद/भारतीय विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) अनुभव : शैक्षिक क्षेत्र में विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले विधिक क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : (i) विधि में स्नातक डिग्री। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी राज्य विधिज्ञ परिषद/भारतीय विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) अनुभव : शैक्षिक क्षेत्र में विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले विधिक क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यता एवं कार्य विवरण</u>

वांछनीय: विधि में मास्टर डिग्री।

कार्य विवरण : (i) विधिक मामलों पर समग्र रूप से परामर्श देना। (ii) विभाग में विद्‌यमान अधिनियमों और नियमों को आसान बनाने के लिए उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना और समीक्षा करना और उन्हें और अधिक प्रभावकारी बनाना। (iii) सम्पूर्ण भारत में विद्‌यालय शिक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए सरकारी परामर्शियों और न्यायालयों के साथ निकट संपर्क रखना।

17. (पद आईडी सं. 23055217420) उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (नीति, प्रचार और आउटरीच) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : मास्टर डिग्री / दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ख) अनुभव : केंद्र सरकार / इसके स्वायत्त निकायों / राज्य सरकार (रों) की योजनाओं / मिशनों से संबंधित प्रचार कार्यों में तीन वर्ष के अनुभव सहित मीडिया और संचार के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : मास्टर डिग्री / दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ख) अनुभव : केंद्र सरकार / इसके स्वायत्त निकायों / राज्य सरकार (रों) की योजनाओं / मिशनों से संबंधित प्रचार कार्यों में तीन वर्ष के अनुभव सहित मीडिया और संचार के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण</u>

वांछनीय : स्नातकोत्तर डिग्री / मीडिया / जन संचार / पत्रकारिता में डिप्लोमा।

कार्य विवरण : (i) विभाग द्वारा आवश्यक विभिन्न प्रसारों के लिए विभिन्न योजनाओं / नीतियों / पहलों और उनके कार्यान्वयन के लिए संचार कार्यक्रमों को तैयार करना। (ii) संगत ब्यूरो प्रमुखों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके कार्यक्रम / आउटरीच गतिविधियों / कार्यक्रमों की योजना बनाना, संचार रखना, बाह्य हितधारकों आदि के साथ समन्वय स्थापित करने सहित विभिन्न अंतरसंबंधित गतिविधियों का समर्थन करना। (iii) विशेषज्ञों के साथ निकट सहभागिता में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके जन-जागृति निर्माण में सहायता करना। (iv) वेबसाइट, संपादकीय लेख आदि पर विशिष्ट योजनाओं / नीतियों / पहलों के लिए लक्षित संचार / सामग्री के विकास में सहयोग करना और / या विकास करना। (v) स्टैन्डी बैनर, पैम्फलेट, ब्लॉग, लेख, उत्पाद विवरण, सोशल मीडिया और वेबसाइट के लिए सामग्री / अनुप्रसंगिक विवरण तैयार करना। (vi) उद्योग से संबंधित विषयों पर गहन अनुसंधान आयोजित करना ताकि मौलिक / मूल सामग्री विकसित की जा सके।

18 (पद आईडी सं. 23055218420) भारी उद्योग मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (विनिर्माण-पूंजीगत माल) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : यांत्रिक / उत्पादन इंजीनियरी में इंजीनियरी / तकनीकी में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : विनिर्माण क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : यांत्रिक / उत्पादन इंजीनियरी में इंजीनियरी / तकनीकी में स्नातक डिग्री।

(ख) अनुभव : विनिर्माण क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यता एवं कार्य विवरण</u>

वांछनीय :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए :</u> यांत्रिक इंजीनियरी के विषय में इंजीनियरी / तकनीकी में मास्टर डिग्री।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u> यांत्रिक इंजीनियरी के विषय में इंजीनियरी / तकनीकी में मास्टर डिग्री।

कार्य विवरण : अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे: (i) विनिर्माण और / या प्रसंस्करण उद्योग जैसे रसायन और पैट्रो रसायन, उर्वरक, कागज, शर्करा, प्लास्टिक, सिमेन्ट, स्टील, कोयला, खनिज, वस्त्र, संश्लेषित रेशा, भोजन सामग्री, सामग्री प्रबंधन, निर्माण आदि के उपयोग में लाए जाने वाले पूंजीगत माल उद्योग से संबंधित सभी विकासात्मक कार्य। (ii) भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि के लिए योजना का प्रशासन और कार्यान्वयन। (iii) व्यापार अवरोधों, आयात आवेग, विदेश व्यापार समझौते, एफ डी आई प्रस्तावों आदि में नीतिगत निविष्टियों से संबंधित तकनीकी मामलों का विश्लेषण करना और उन पर परामर्श देना।

19. (पद आईडी सं. 23055219420) भारी उद्योग मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (विनिर्माण-एचईआई) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में इंजीनियरी / तकनीकी में बैचलर डिग्री।

(ख) अनुभव : विनिर्माण / विद्युत / ऊर्जा क्षेत्र में दस वर्ष का कार्य अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में इंजीनियरी / तकनीकी में बैचलर डिग्री। **(ख) अनुभव :** विनिर्माण / विद्युत / ऊर्जा क्षेत्र में सात वर्ष का कार्य अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यता एवं कार्य विवरण</u>

वांछनीय :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए :</u> इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में इंजीनियरी / तकनीकी में मास्टर डिग्री।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u> इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में इंजीनियरी / तकनीकी में मास्टर डिग्री।

कार्य विवरण : अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे: (i) विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और औद्योगिक अनुप्रयोग जैसे हरित हॉइड्रोजन उत्पादन, लोकोमोटिव आदि में प्रयुक्त होने वाले भारी वैद्युत मशीनरी और उपकरण से संबंधित सभी विकासात्मक कार्य। (ii) तकनीकी विनियमन, मानकीकरण, सार्वजनिक प्रापण, व्यापार अवरोधों, आयात आवेग, विदेशी व्यापार समझौते, एफ डी आई प्रस्तावों आदि में नीतिगत

और विनियमन निविष्टियों से संबंधित तकनीकी मामलों का विश्लेषण करना और उन पर परामर्श देना।

20. (पद आई डी सं. 23055220420) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (शहरी योजना) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

<u>निदेशक स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : नगर नियोजन (टाउन प्लानिंग) / वास्तुकला / वास्तुकला और नियोजन / सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री।

(ख) अनुभव : दस वर्ष का अनुभव:- नगर नियोजन, मास्टर प्लान / टाउन प्लान स्कीम में नगर निकायों के साथ कार्य करने; **या** प्राइवेट / सार्वजनिक इकाईयों के लिए टाउनशिप की योजना बनाने में कार्य करने; **या** सार्वजनिक स्थलों, जल निकायों आदि सहित नगरीय क्षेत्रों के डिजाइन करने और उनकी योजना बनाने के लिए नगर नियोजन परामर्शदात्री फर्म के भाग के रूप में कार्य करने **या** कार्यस्थल पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शहरी डिजाइनों / योजनाओं के लिए कार्य करने का अनुभव।

<u>उप सचिव स्तर पद के लिए :</u>

(क) शैक्षिक : नगर नियोजन / वास्तुकला / वास्तुकला और नियोजन / सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री।

(ख) अनुभव : सात वर्ष का अनुभव :- नगर नियोजन, मास्टर प्लान / टाउन प्लान स्कीम में नगर निकायों के साथ कार्य करने; **या** प्राइवेट / सार्वजनिक इकाईयों के लिए टाउनशिप की योजना बनाने में कार्य करने; **या** सार्वजनिक स्थलों, जल निकायों आदि सहित नगरीय क्षेत्रों को डिजाइन करने और उनकी योजना बनाने के लिए नगर नियोजन परामर्शदात्री फर्म के भाग के रूप में कार्य करने। **या** कार्यस्थल पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शहरी डिजाइनों / योजनाओं के लिए कार्य करने का अनुभव।

<u>दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं एवं कार्य विवरण</u>

वांछनीय : नगर नियोजन / वास्तुकला / वास्तुकला और निर्माण / सिविल इंजीनियरी में मास्टर डिग्री; **या** सतत प्रबंधन / जी आई एस / आर्थिक भूगोल / पर्यावरण नियोजन / पर्यटन प्रबंधन में डिग्री / डिप्लोमा।

कार्य विवरण : मंत्रालय को अग्रलिखित में सहायता प्रदान करना: (i) नीति निर्माण; (ii) मॉडल नियमों और विनियमों को तैयार करना; (iii) विभिन्न नियोजन प्रोजेक्टों / योजनाओं

में शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) का सहयोग करना; (iv) शहरी नियोजन में शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता संवर्धन; (v) शहरी नियोजन में विशेषज्ञों के साथ विचार विनिमय।

टिप्पणी-1: संबंधित मंत्रालय / विभाग उपर्युक्त पदों के संबंध में (क्रम संख्या 1 से 20 तक) कार्य विवरण में दर्शाए गए कार्य, जो केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं के स्थान पर / इनके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य सौंप सकता है।

टिप्पणी-2: उपर्युक्त सभी पद (क्रम संख्या 1 से 20 तक) बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे (i) दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि की अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन **(बी)** या अल्प दृष्टि **(एलवी)**, (ii) बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, (iii) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण की अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं **(बीएल)** या दोनों हाथ प्रभावित **(बीए)** या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) **(ओए)** या दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित **(बीएलए)** या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित **(बीएलओए)** या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** या कुष्ठरोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)** या मांसपेशीय कुपोषण **(एमडीवाई)** या बहुविध अक्षमता **(एमडी)** अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो विकलांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(महत्वपूर्ण)
उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **20-05-2023** से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ.आर.ए.) आमंत्रित किए जाते हैं। ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तिथि **19.06.2023 को 23.59 बजे** तक है।
पूर्ण रूप से ऑन-लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि **20.06.2023 को 23.59 बजे** तक है।
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक

भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।
साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

1. पात्रता: संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए न्यूनतम पन्द्रह वर्ष का अनुभव, निदेशक स्तर के पदों के लिए दस वर्ष का अनुभव और उप सचिव स्तर के पदों के लिए सात वर्ष का अनुभव रखने वाले निम्नलिखित अधिकारी/व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

क. किसी राज्य / संघ शासित क्षेत्र सरकार के ऐसे अधिकारी जो पहले से ही समकक्ष स्तर के पद पर कार्य कर रहे हैं अथवा संगत अनुभव के साथ अपने संवर्ग में समकक्ष स्तर पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

ख. ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में इसी के समतुल्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

ग. ऐसे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्शी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुराष्ट्रीय संगठनों में इसी के समतुल्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

2. <u>समतुल्य स्तर</u>

समतुल्य / समकक्ष स्तर को निम्नानुसार परिभाषित किया जाएगा :

क) संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23 में से किसी भी वर्ष के दौरान फॉर्म-16/आईटीआर के अनुसार रू.35 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।

ख) निदेशक स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23 में से किसी भी वर्ष के दौरान फॉर्म-16 / आईटीआर के अनुसार रू.20 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।

ग) उप सचिव स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23 में से किसी भी वर्ष के दौरान फॉर्म-16 / आईटीआर के अनुसार रू.15 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।

टिप्पणी : अंतिम तिथि तक वर्ष 2022-2023 के लिए फॉर्म-16 / आईटीआर प्रस्तुत करने में अक्षम होने पर, उम्मीदवारों को एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि यह साक्षात्कार से पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी : केन्द्र सरकार के कर्मचारी इन पदों पर आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3. <u>आयु तथा वेतन :</u>

क) **संयुक्त सचिव स्तर के पद** के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमश: **40 और 55 वर्ष** है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-14 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग **रू. 2,66,000/- प्रति माह** होगा)।

ख) **निदेशक स्तर के पद** के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमश: **35 और 45 वर्ष** है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग **रू. 2,18,000/- प्रति माह** होगा)।

ग) उप सचिव स्तर के पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमश: **32 एवं 40 वर्ष** है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग **रू. 1,43,000/- प्रति माह** होगा)।

(घ) तथापि, सरकार के पास, नियुक्त होने वाले सुपात्र व्यक्तियों को वेतनमान के भीतर समुचित स्तर पर रखने का अपना अधिकार सुरक्षित है।

(ङ) आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी।

4. <u>अन्य शर्तें :</u>

क) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित अन्य संविधियों और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उद्देश्य से नियुक्त सभी व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाएगा ।

ख) कार्यकालः अनुबंध/प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे कार्य निष्पादन और अपेक्षा के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

ग) नियोजन अनुबंध को न्यूनतम 3 महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

घ) निदेशक के पद के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक, **निदेशक** के पद के लिए संस्तुति किए जाने के पात्र होंगे और उप सचिव के पद के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक **उप सचिव** के पद के लिए संस्तुति किए जाने के पात्र होंगे।

5. <u>अन्य विवरण</u> :

उपर्युक्त सभी पद समूह 'क' में हैं। निजी क्षेत्र से उम्मीदवार की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर चयनित उम्मीदवार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के अनुसार होगी। राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की मानक अवधि के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

6. <u>मुख्यालय :</u>

नई दिल्ली।

टिप्पणी-1 उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट <u>http://www.upsconline.nic.in</u> देखें। "उम्मीदवार के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" सहित विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट <u>http://www.upsc.gov.in</u> और वेबसाइट <u>http://www.upsconline.nic.in</u> पर प्रदर्शित किया गया है।

टिप्पणी-2: उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में वेबसाइट <u>http://www.upsconline.nic.in</u> के माध्यम से केवल ऑन-लाइन आवेदन करें और आवेदन

प्रपत्रों के लिए आयोग को **न** लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे पदों के लिए नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं

1. नागरिकता :

उम्मीदवार भारत का नागरिक हो।

2. **न्यूनतम अनिवार्य योग्यताएं :** सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी-II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग शार्टलिस्ट किए जाने के निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को तर्कसंगत सीमा तक कम कर सकता है :

(i) वांछनीय योग्यता (वां.यो.) के आधार पर (किसी एक या दो या अधिक के संयोजन से या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है)।
(ii) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा उच्चतर संगत शैक्षिक योगयता के आधार पर।
(iii) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा उच्चतर अनुभव के आधार पर।

इसलिए, उम्मीदवारों को चाहिए कि न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त, संगत क्षेत्र में अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करें।

टिप्पणी-III :

महत्वपूर्ण
साक्षात्कार में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर कुल 100 (एक सौ) अंकों में से 50 (पचास) अंक होंगे।

1. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यत: वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) आदि या यदि अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों को प्रत्येक दावे के समर्थन में अलग-अलग पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक न हो तथा ''अपलोड अन्य दस्तावेज'' के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे।

निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म-तिथि दर्शाई गई हो, या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष की अंकतालिका या समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें आयु के दावे के समर्थन में जन्म-तिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र / अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (तमिलनाडु और केरल के मामले में)।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की प्रति । डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षो की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र अपलोड किया जा सकता है।

(ग) समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार शैक्षिक योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए उस आदेश / पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया है।

(घ) अनुभव के लिए नियोक्ता के द्वारा जारी अद्यतन और पूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है (प्रारूप के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में लिंक दिया गया है) जिसमें कार्यों की प्रकृति, दिनांक और अनुभव की अवधि, स्तर / स्थिति, जिम्मेदारियों आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। यदि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़, किए गए दावे का समर्थन नहीं करते हैं, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

इसी तरह, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, लेकिन उस के समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि के लिए नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है तब उस स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। संगत अनुभव की केवल उस समय अवधि पर विचार किया जाएगा जिसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आमतौर पर, नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, स्थानांतरण आदेश, त्याग पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, तैनाती आदेश, शपथ पत्र और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रमाणपत्र या स्व रोजगार प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र को अनुभव का प्रमाण नहीं माना जाता है। तथापि, यदि उम्मीदवार दिए गए प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो कोई भी दस्तावेज जिसमें दावा किए गए अनुभव, कार्य की प्रकृति और अवधि का उल्लेख हो, प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा ।

उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी सही हो ।

(ङ) मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (लिंक https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas) में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पी डब्ल्यू बी डी) के लिए प्रमाण पत्र।

(च) किए गए किसी भी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

<u>टिप्पणी</u> : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण विधिवत रूप से राजपत्रित अधिकारियों या नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित करके अपलोड करना होगा।

iii) महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑन-लाइन आवेदन में किए गए दावें के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन आवेदन को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की <u>आवश्यकता नहीं है</u>। उन्हें साक्षात्कार के

लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 4 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता / करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

3.(ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

"चेतावनी"

ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच तभी की जाएगी जब उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा की गई योग्यता और अनुभव की जानकारी के आधार पर प्रथमदृष्टया या शार्टलिस्ट करने योग्य हों। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों, दावों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों को शार्टलिस्ट करने का आधार बनाया जाएगा। अत: उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए निम्न से विवर्जित भी कर सकता है:

- **आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।**
- **केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से।**

4. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र

ऑन-लाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र में दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न होने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा

(ग) यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र को (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करना होगा जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए अनुभव के समर्थन में मूल दस्तावेज।

(ङ) मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए प्रमाण-पत्र (लिंक https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas)।

(च) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **<u>महिलाओं के विवाह के मामले में</u>** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) **<u>महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में</u> -** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) **<u>तलाकशुदा महिलाओं के मामले में</u> -** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) **<u>अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन होने के मामले में</u>** - एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर शपथ आयुक्त के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(छ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में उल्लिखित जन्म की तारीख अन्तिम है। बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा या अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

टिप्पणी II : *<u>उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट करने के संबंध में वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को नहीं गिना जाएगा</u>* ।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यांतरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अधिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

5. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज में या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी भी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया हुआ/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

कोई उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है :

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ख) जाली आदमी बनकर, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया है, अथवा

(घ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा

(ङ) गलत या झूठे कथन किए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा

(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(छ) परीक्षण के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(ज) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ठ) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया गया हो।

(ड) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे -

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और / अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- आयोग द्वारा, उनके द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

6. अन्य सूचना / अनुदेश :

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या निजी रोजगार में हों, उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही नियमित सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक मजदूरी / घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख होगी।

(ग) यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकरण का उल्लेख (संख्या तथा तारीख के साथ) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त

योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

(घ) उम्मीदवारों को आवश्यकता पडने पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए नई दिल्ली में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है।

(ङ) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(च) उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य जांच कराने के लिए तैयार रहना होगा और चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।

(छ) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग, भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(ज) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा / साक्षात्कार हॉल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

(ग) विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए **निर्धारित प्रपत्र** के प्रारूप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स के (लिंक https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas) के तहत भर्ती शीर्ष में उपलब्ध कराए गए हैं। उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और तद्नुसार भर सकते हैं।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार हॉल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।